न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 44/21 दायरा दिनांक 24.08.2021

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

जोगराजसिंह पुत्र जगदीश जाति सिक्ख जाट निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राजस्थान) – रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :–

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार किशनगंज के प्रकरण संख्या 271/2020 निर्णय दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को ग्राम चैनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 27/1 रकबा 5.05 बीघा भूमि पर सम्वत 2076 किस्म सिवायचक पर अतिक्रगी मानकर 263/– रूपये शास्ति, फसल नीलामी एवं बेदखल किये जाने के आदेश दिए गए हैं। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के स्वीकृत सिद्वान्तों के विपरीत है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा हल्का पटवारी चैनपुरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम चैनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 27/1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा पर फसल–सरसों बोना बताया जाकर रिपोर्ट की गई जिसके आधार पर दिनांक 06.03.2020 के लिए नोटिस जारी किया गया तथा 06.03.2020 को ही छपे हुये परफोर्मा पर निर्णय करते हुये अर्थदण्ड से बेदखली के आदेश दिये गये जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगंज द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 वउनबान जगदीशसिंह बगैरा बनाम सरकार में दिनांक 24.10.2019 से निर्णय व डिक्री पारित किया हुआ है जिसमें ग्राम चैनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 25/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 27/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा पर कृपालसिंह को खसरा नम्बर 20/1 व 21 की 3 बीघा खसरा नम्बर 27/1 की 2 बीघा 5 बिस्वा पर जोगराजसिंह को खसरा नम्बर 20/1 व 21 की 5 बीघा पर हरतेजसिंह को खसरा नम्बर 20/1 व 21 की 7 बीघा भूमि पर अपीलान्ट को खातेदार कृषक घोषित किया जा चुका है। जिसकी पालना में तहसीलदार किशनगंज को दिनांक 21.11.2019 को पत्र क्रमांक रीडर/2019/625 जारी किया गया जिस पर कार्यालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा क्रमांक राजस्व/2019/897 दिनांक 29.11.2019 से हल्का पटवारी खण्डेला को निर्णय की प्रति भेजकर स्थगन आदेश न हो तो पालनार्थ भिजवाया गया। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई व उसके आधार पर तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 06.03.2020 को गलत रूप से 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर निर्णित कर शास्ती से दण्डित कर बेदखल करने के आदेश दिये गये है जो सर्वथा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

हमने अपीलान्ट के विद्वान वकील के तर्को पर ममन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। अतिक्रमी को अतिचारी सिद्ध करने बाबत् पर्याप्त सबूत मौजूद हैं अधनीस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner